



**उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
**(उ०प्र० सरकार का उपकरण)**  
**U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**  
**(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)**  
**शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।**

संख्या: 570-पारे०अनु०-०४ / पाट्राकालि-2022-74/13 टी०सी०-११।

दिनांक: ३० जुलाई, 2022

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / II),  
 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक,  
 समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता  
 उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं।  
 शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार,  
 मेरठ / आगरा / झौसी / प्रयागराज / गोरखपुर / लखनऊ।

**विषय:-** उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं। के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी 2022 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-1115-पारे०अनु०-16 / पाट्राकालि / 2019-74-पारे०-16 / 13, दिनांक 23.11.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं। के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महँगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2022	मूल वेतन का 34 प्रतिशत

2. उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-

- (i) इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (ii) महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
- (iii) इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- (iv) इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

- (v) इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 जुलाई, 2022 से देय धनराशि का भुगतान जुलाई माह के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 जुलाई, 2023 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगा और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दिया जायेगा।
- (vi) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2022 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
3. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महँगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।


भवदीय

|  
(राम सूरत)  
उप सचिव-प्रथम (पारेषण)

संख्या : 570(1)-पारेषनु-04 / पाट्राकालि / 2022 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण- I), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण- I / II / III), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

  
(राम सूरत) 30.07.22  
उप सचिव-प्रथम (पारेषण)